

प्र
सं
सं



मध्य प्रदेश शासन
जल संसाधन विभाग,
मंत्रालय :-
वस्त्रभू भवन भोपाल

क्रमांक-22(ए)/356/2017/एमपीएस/31 /1785

भोपाल दिनांक 20/9/2017

प्रति,

प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग,
भोपाल ।


विषय :- सिंगरौली जिले की गोंड वृहद सिंचाई परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति ।

७-000-६

मंत्रि-परिषद की बैठक दिनांक 12 सितंबर, 2017 में सिंगरौली जिले की गोंड वृहद सिंचाई परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान किए जाने का निर्णय लिए जाने के परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन एतद् द्वारा सिंगरौली जिले की गोंड वृहद सिंचाई परियोजना रूपांकित क्षमता 34,500 हे. (रबी 28,000 हे. एवं खरीफ 6,500 हे.) हेतु रू.1097.67 करोड़ (दस अरब सतान्नुवे करोड़ सड़सठ लाख) की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है ।

2. परियोजना पर व्यय मांग संख्या 23 लेखा-शीर्ष 4700 (मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय) के अंतर्गत विकलनीय होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार



(व्ही.एस.टेकाम)
उप सचिव

म.प्र.शासन, जल संसाधन विभाग
भोपाल दिनांक-20/9/2017

प.क्रमांक-22(ए)/356/2017/एमपीएस/31 /1786

प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय भोपाल ।
2. प्रमुख सचिव, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी/आदिम जाति कल्याण/कृषि विभाग, मंत्रालय भोपाल ।
3. मुख्य अभियंता, (बोधी) एवं सदस्य सचिव, साधिकार समिति म.प्र. शासन, जल संसाधन विभाग, भोपाल ।
4. मुख्य अभियंता, गंगा-कछार जल संसाधन विभाग, रीवा ।
5. निज सचिव, मा. मंत्रीजी/राज्य मंत्रीजी, म.प्र. शासन, जल संसाधन विभाग, भोपाल ।
6. ✓ वैब मैनेजर, पाईकू, जल संसाधन विभाग की ओर विभागीय वेबसाईड पर प्रकाशित करने हेतु ।


उप सचिव

म.प्र.शासन, जल संसाधन विभाग